हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

पत्रावली पेश हुई [illegible] S.D.O. [illegible], दिगर कार्य में व्यस्त वकीलों द्वारा कोर्ट कार्य स्थगन रखने से पत्रावली वास्ते [illegible] 31/10/2017 को पेश हो।

…/17 बमुलाहिजा उप०। प्रति सं० 21 कोर्ट के का० मु० का प्रा० पत्र पेश करने का निवेदन चाहते हैं। अन्तिम अवसर दिया जाता है। न्यायहित में एक अन्तिम अवसर दिया जाता है। पत्रावली दिनांक 13/12/17 को पेश हो।
500

13/12/17 बमुलाहिजा उप०। प्र० ना० 21 कोर्ट के का० मु० का प्रा० पत्र पेश करने का निवेदन चाहते हैं। अन्तिम अवसर दिया गया है। न्यायहित में एक अन्तिम अवसर कोर्ट दिया जाता है। पत्रावली अन्तर्गत दिनांक 22/2/18 को पेश हो।
500

22/2/18 बमुलाहिजा उप०। वकील जा० का० मु० का प्रा० पत्र पेश करने का निवेदन चाहते हैं। पूर्व में अन्तिम अवसर दिया गया है। न्यायहित में एक अन्तिम अवसर 100/- रु कोस्ट राशि पर दिया जाता है। पत्रावली अन्तर्गत दिनांक 24/5/18 को पेश हो।
500

24/5/18 [illegible]/जिला कलक्टर महोदय, पाली के आदेशानुसार आयोजित [illegible] लोक अदालत/कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत [illegible] के लिए अटल सेवा केन्द्र पर दिनांक 21/5/18 को पेश हो।
500

21/5/18 पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत कैम्प अटल सेवा केन्द्र के लिए पेश हुई। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। वकील जायदाद को वर्ष फरवरी 2016 से प्रकरण में तलबाना एवं का० मु० का प्रा० पत्र पेश करने हेतु समय दिया गया है। अन्तिम से अन्तिम अवसर और कोस्ट राशि पर अवसर दिया जाने के बावजूद वकील जायदाद द्वारा तलबाना एवं का० मु० का

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	प्रा०पत्र पेश नहीं किया है। चूंकि आपत्ति निषेधाज्ञा का प्रकरण एक लंबित एवं समुचित सुनवाई का प्रकरण है। एवं वर्ग में विवाद का समाधान आदेश से होने पर भी वकील जायसवाल द्वारा प्रा०पत्र में तलबाना एवं का० सु० का फार्म पेश प्रस्तुत नहीं करते हैं अतः जायसवाल का प्रा०पत्र धारा 212 RT Act [illegible] 0329/1252 वाद धारा 151 CPC का खारिज किया जाता है। पत्रावली कोर्ट फैसला शुमार होकर नत्थी मिसल की जाये बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर रिकार्ड अहलमद हो। SDO